संख्या- 31/918/30-3-16-18बी/2015

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ ख़ाँ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2-अध्यक्ष,
राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश,
01 कैसरबाग, एवेन्यू (अवध जिमखाना क्लब के पीछे), लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 07 अप्रैल, 2016

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-20165-231/2016, दिनॉक 22-03-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि की निम्नलिखित विवरण के अनुसार, लेखाशीर्ष-2041 के अन्तर्गत धनराशि रू0 8310 हजार, लेखाशीर्ष-2059 के अन्तर्गत धनराशि रू0 5000 हजार, लेखाशीर्ष-2235 के अन्तर्गत धनराशि रू0 2001 हजार में से वित्त विभाग के उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 22-03-2016 के प्रस्तर-2(6) में निहित निर्देशानुसार प्रथम किस्त के रूप में लगभग 50 प्रतिशत धनराशि रू0 1000 हजार एवं लेशाशीर्ष-3055 के अन्तर्गत धनराशि रू0 1523880 हजार व मद संख्या-190 के अन्तर्गत धनराशि रू0 700 हजार, अर्थात कुल धनराशि रू0 1524580 हजार (रू0 एक अरब बावन करोड़ पैंलातीस लाख अस्सी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर, कतिपय शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम	स्वीकृत प्राविधान	जारी धनराशि
लेखाशीर्षक-2041-वाहन कर-800-अन्य व्यय-03-स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान		
01-वेतन	3000	3000
02-मजदूरी	25	25
03-मंहगाई भत्ता	4080	4080
04-यात्रा व्यय	30	30
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	150	150
06-अन्य भत्ते	310	310
07-मानदेय	05	05
08-कार्यालय व्यय	55	55

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

09-विद्युत देय	55	55
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	25	25
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	65	65
13-टेलीफोन पर व्यय	40	40
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	20	20
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	120	120
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10	10
45-अवकाश यात्रा व्यय	30	30
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50	50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	35	35
49-चिकित्सा व्यय	200	200
51-वर्दी व्यय	05	05
योग :	**8310**	**8310**

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम	स्वीकृत प्राविधान	जारी धनराशि
लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण -03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण	5000	5000
योग :	**5000**	**5000**

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम	स्वीकृत प्राविधान	जारी धनराशि
लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-03-मंत्रियों, सरकारी कर्मचारियों तथा/अथवा उनके परिवारों को अनुग्रह भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	01	00
04-बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	2000	1000
योग :	**2001**	**1000**

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम	स्वीकृत प्राविधान	जारी धनराशि
लेखाशीर्षक-3055-सड़क परिवहन-001-निदेश तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय		
01-वेतन	420000	420000
02-मजदूरी	400	400
03-मंहगाई भत्ता	504000	571200
04-यात्रा व्यय	1000	1000
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	500	500
06-अन्य भत्ते	46000	46000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

07-मानदेय	50	50
08-कार्यालय व्यय	30000	30000
09-विद्युत देय	11000	11000
10-जलकर/जल प्रभार	5000	5000
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	40000	40000
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5000	5000
13-टेलीफोन पर व्यय	2500	2500
14-मोटरगाड़ियों का क्रय	6000	6000
15-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	35000	35000
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	25000	25000
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	10000	10000
18-प्रकाशन	150	150
23-गुप्त सेवा व्यय	20	20
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण संयत्र	00	00
29-अनुरक्षण	1000	1000
42-अन्य व्यय	50	50
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	300	300
45-अवकाश यात्रा व्यय	100	100
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	25000	25000
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	40000	40000
49-चिकित्सा व्यय	9000	9000
51-वर्दी व्यय	300	300
योग : 3055-03	**1343653**	**1343653**
190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों की सहायता-03-राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में संसद सदस्यों की नि:शुल्क यात्रा की सुविधा के लिये निगम को प्रतिकर का भुगतान- 42-अन्य व्यय	700	700
योग : 190	**700**	**700**
योग : 3055	**1344553**	**1344553**

2- आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-20165-231/2016, दिनॉक 22-03-2016 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, साथ ही क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग के शासनादेश संख्या-2573एस0पी0/18-07-76(एस0पी0)/86, दिनॉक 08-01-1992, पत्र संख्या-2177/18-07-94-15 (एस0पी0)-92 दिनॉक 17-10-94, पत्र संख्या-2275/18-05-98-15(एस0पी0)-92टी0सी0, दिनॉक 07-12-98, पत्र संख्या-708/18-05-98-15(एस0पी0)-92, दिनॉक 08-01-94, पत्र संख्या-2917/18-05-2000-49(एस0पी0)-2000, दिनॉक 20-12-2000 तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर उनके द्वारा जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं जहॉ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो वहॉ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि टुकड़ों में व्यय किये जाने से बचा जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण के अन्तर्गत निर्गत की जा रही धनराशि इस शर्त के साथ आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि इस धनराशि का व्यय सम्बन्धित मरम्मत/अनुरक्षण कार्यों की शासन से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा।

4- वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-20165-231/2016, दिनॉक 22-03-2016 के प्रस्तर-2(6) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अन्तर्गत मानक मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 2001 हजार को 02 किस्तों में जारी किया जायेगा, जिसकी प्रथम किस्त प्रशासकीय विभाग द्वारा तथा दूसरी किस्त की स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेगी। वित्त विभाग के उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 22-03-2016 के निर्देशानुसार लेखाशीर्ष-2235 (आयोजनेत्तर) में प्रावधानित कुल धनराशि रू0 2001 हजार के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू0 1000 हजार की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा रही है, अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 1001 हजार प्रस्ताव/उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेगी।

5- इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- व्यय विवरण प्रत्येक मास की 10 तारीख तक वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक़ ख़ॉ)
विशेष सचिव।

संख्या- 31/918(1)/30-3-2016, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ ख़ॉ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in